मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल.

क्र/बो./यो/गै.तक./45/48/पार्ट–14/13–14/3675 भोपाल दिनांक 11/9/2015

प्रति,

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप सचांलक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
समस्त..(म.प्र.)

विषय :– कृषकों को 5/–प्रति थाली भोजन व्यवस्था हेतु अनुदान राशि विमुक्त किये जाने के संबंध में।

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रांगण में अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु आने वाले कृषकों को राशि रूपये 5/–प्रति थाली की दर से भोजन व्यवस्था लागू है जिसमें ''क'' श्रेणी एवं ''ख'' श्रेणी की मण्डी समितियॉ अपने स्वयं के स्त्रोतों से, एवं ''ग'' वर्ग की मण्डी समितियों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान तथा ''घ'' वर्ग की मण्डी समितियों में शत्प्रतिशत अनुदान मण्डी बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है।

मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था हेतु दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में परीक्षणों से लगातार दुरूपयोग होने की आंशका बनी हुई है, इस संबंध में शिकायतें भी मिल रही हैं।

अतः कृषकों को 5/–प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराये जाने संबंधी योजना के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में अपने सुझाव एवं अभिमत के साथ 24 सितम्बर 2015 में संपन्न होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में उपस्थित होवें।

अपर संचालक द्वारा अनुमोदित।

11/9/15

संयुक्त संचालक(योजना)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल